## 235 Materujų: DECEMBER 8, 1978 Rule 207

#### Maternity Benefit 236 (Amdi.) Bill

# (सम्पन महोरप]

जो मै लता था, अब उस से भा कम मिलता है। पजाब म एम॰ एल॰ एज॰ 500 रुपय लेते हैं, उन को बसों भीर रेलो का पास भी दिया हुमा है। माखिर मेम्बर को कई गजह जाना होता है----कास्टोचूएन्सी मे जाना होता है, दूसरा जगह जाना होता, है यहा माना होत है, अगर माप इन का भै। तलटी नही देगें ना राये नो एक ही दिन म बराबर हो जायेगे।

इ • ोरेये इस मे झाप का जिन्ता नही होनी च ! र्य — जिस भाई ने यह खबर दी है, मैं उस का बुलाऊगा उन को गलतफहमी इर करूगा । मुझे पिछले दिता कुछ एम० पीज० न कहा था-हालात बडे खराब है, हम इसरा के लिये रोते है, लेकिन हमार लिये कोई मही राता, जरा बारूपाल का तगडा किया जाय । झाप समझ गये होंा बारुपाल के तगडा हाने का क्या मतलब है । बहरहाल सारी जीजे झाप के सामने झायगी ।

#### (ii) STRIKE IN CEAT TYRE FACTORY, BOMBAY

SHRI DINEN BHATTACHARYYA (Serampore): I have got a brief submission to make. It is this. There are more than 1300 workers of the force owned CEAT Tyre factory, Bombay. They are on strike since the 13th of November, protesting against the over-work-load and demanding increase in their emoluments. The Labour Ministry has failed to take up the cause of the workers. The failure of the Government to settle this dispute has aggravated the tyre, tube shortage in the country and created untold sufferings to small transport operators. I wish to draw the attention of the Government through you, Sir, and I make a submission that they must try to avert the strike at the earliest opportunity so that production may not be hampered. So far as I know,

the workers are very eager for a settlement on condition that no new work-load is there and they get their proper emoluments.

MR. SPEAKER: May I know from the hon. Minister if he wants to make any statement today or later on?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF LABOUR (SHRI BALGOVIND VERMA): I am not aware of the strike. I will try to find out the position and do whatever is necessary.

'MR SPEAKER: With regard to the facts which have been brought up to your notice you can come out with some statement later on.

### SHRI BALGOVIND VERMA: Yes.

SHRI S. M BANERJEE (Kanpur): About the Indian Airline Strike, let the non Minister come with a statement Sir Negotiations were going on. I would request the Minister through you to make some statement about it

SHRI DINEN BHATTACHARYYA: New conditions have been imposed on the other hand.

### 12 59 hrs

#### MATERNITY BENEFIT (AMEND-MENT) BILL

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF LABOUR (SHRI BALGOVIND VERMA): Sir, I beg to move\*:

"That the Bill further to amend the Maternity Benefit Act, 1961, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration."

The Maternity Benefit Act, 1961 was enacted to secure uniformity in the payment of maternity benefit to women industrial workers and its pro-

\*Moved with the recommendation of the President.

## 237 Maternity AGRAHAYANA 12, 1895 (SAKA) Benefit (Amdt.) 238

visions approximate as nearly as possible to those of the Employees' State Insurance Act, 1948 in respect of maternity benefit. It will take time to extend the E.S.I. Act, 1948 to all areas and to cover all establishments thereupnder. In the meontime, the payment of maternity benefit to workers not covered by the Eployees' State Insurance Act, 1948 will be regulated by the Maternity Benefit Act, 1961.

According to Section 2(i) of the Maternity Benefit Act, 1961, it applies, in the first instance, to every establishment being a factory, mine or plantation, but it can be extended to other establishments The Central Government is responsible for administration of the Act in mines while the State Governments are responsible for its administration in factories, plantations and other establishments.

#### 13 hrs.

A difficulty has arisen in extension of the Maternity Benefit Act, 1961 to the establishments in the Circus Industry. A survey was undertaken by the Labour Bureau following receipt of memoranda from the Indian Circus Federation and Akhil Bharat Circus Karamchari Sangh about application of labour laws to the Circus Industry. The report of the survey indicates that it is perhaps due to the peculiar nature of the industry that so far the circus establishments are not subjected to any regulatory labour laws but are only covered by certain general labour laws e.g. the Workmen's Compensation Act, 1923, the Trade Unions Act, 1926 the Industrial Disputes Act, 1947; and the Employees' Provident Funds Act 1952. It was also found that all the circus companies were employing a sizeable number of women According to the survey, women formed nearly 12 per cent of the total employees and of the women employees, roughly 8 per cent were married. In spite of this, none of the 20 companies investigated were found to have made the most important provision for women employees i.e., provision for payment of maternity benefit.

#### , 1895 (SAKA) Benefit (Amdt.) 238 Bill

As section 3(a) of the Maternity Benefit Act, 1961 stands at present, the State Governments, being the "Appropriate Governments" will be responsible for administration of the Act in the Circus Industry. However, as the circus companies move from State to State, the enforcement of the Maternity Benefit Act, 1961 by the States may not be feasible. It is, therefore, proposed to amend section 3(a) of the Act so as to make the Central Government the "Appropriate Government" for the purpose of the Maternity Benefit Act, 1961 in respect of the Circus Industry and to make such other consequential amendments as are considered necessary. The State Governments have been consulted and almost all of them have agreed to the proposal.

With these words. I commend the Bill for consideration of the House

MR. SPEAKER: Motion moved:

"That the Bill further to amend the Maternity Benefit Act, 1961, as passed by Ralya Sabha, be taken into consideration."

We now adjourn for lunch and reassemble at 2 P.M

#### 13.03 hrs.

The Lok Sabha adjourned for Lunch till Fourteen of the Clock.

The Lok Sabha re-assembled after Lunch at five minutes past Fourteen of the Clock.

[MR. DEPUTY-SPEAKER in the Chair]

MATERNITY BENEFIT (AMEND-MENT) BILL-Contd.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Shrimati Bibha Ghosh Goswami.

भी हाम भारत कछवास (परंगा) : उपाध्यक्ष महोदस मैं दो मिनट हैं<sup>1</sup> लूगा । पिछले डेट महीने में उप्जेन के नियेटिक्स

# [थी हकम चन्द कछवाय]

मिल्म मे हडताल चल रही है भोर मैनेजमैट के द्वारा यहा पर मजदूरों का मारे। पर रहा है। परमों की घटना है कि मेरे सामने तीन भादायात का मारा गया प्रोर असी तक राज्य सरकार यहा कुछ नहीं। कर रही है क्योंके मध्य प्रदेश के मुख्य मजी की उन लागो ने सहयोग दिया था। बहा पर उन की केवल सवा मी काया दिया जाता है आर यहा उनका झगडा है।

MR. DEPUTY-SPEAKER: State Government? How does this come here? Order, order.

श्री हुम क चन्द कछवाय में च हुगा कि श्वा मत्री जा फोरन आज कर के एक बक्त-राधना पर द।

\*SHRIMATI BIBHA GHOSH GO-SWAMI (Nabadwip): Mr. Deputy Speaker, Sir, the object of this Bill is very limited. This has been brought forth to extend the provisions of the original Act of 1961, to the workers of the circus industry. We all want that maternity benefit should be extended to working mothers, whatever vocation they may be engaged in As such, this is a welcome legislation and we support it. I will however avail of this opportunity to point out the limited vision of the Government in the matter of providing maternity benefit to working mothers.

Sir, the primary object of this Bill is to provide maternity benefit to working women i.e. to those women who earn their livelihood. Sir, I have noted and perhaps many others here have also noted that a large section, may be the largest sections of working women have been left out of the purview of this Bill. This Government somehow always fails to take notice of the lower strata of the population. Atlhough they speak a lot about socialism and welfare state etc., yet they fail to pay proper attention to a large section of the poor masses.

MR. DEPUTY-SPEAKER: People of higher strata and lower strata in the circus industry?

SHRIMATI BIBHA GHOSH GO-SWAMI: I am coming to the point.

MR. DEPUTY-SPEAKER: I do not think the Bill makes any distinction.

SHRIMATI BIBHA GHOSH GO-SWAMI: Yes, yes, it has to come here. In the case of working mothers also ...(Interruptions). They are not coming under this maternity benefit. By far the greater number of women working in India, are excluded.

MR. DEPUTY-SPEAKER: No, no, we are not talking of women working in India. This is about women working in the circus industry.

SHRIMATI BIBHA GHOSH GO-SWAMI I want to point out some other defects.

MR. DEPUTY-SPEAKER: But within the scope of the Bill

SJIRIMATI BIBHA GHOSH GO-SWAMI: Yes

SHRI DINEN BHATTACHARYYA (Sciar pore). 'Within the scope of the Bill', means materinity benefit, not any other benefit.

SHRIMATI BIBHA GHOSH GO-SWAMI  $J_n$  the case of maternity benefit also a large section of poor working women have been left out of the scope of this Bill. The Government do not keep any account of all the working women in India. Su take the case of those women who work as agricultural labour. We can have a rough idea of their number in the following manner.....

From Government accounts we know that 20 per cent of our population are working as agricultural labour. Let us deduct 1/3 of this number, being children and old persons. we can now take 1/2 the remaining

\*The original speech was delivered in Bengali.

number as able bedied women. Thus the number of women working as agricultural labour will come to around 4 crores.

Thus a large number of working mothers have been left out of the scope of this Bill, I will ask the hon. Minister whether he considers these women also as working mothers or not? Sir, they are also working mothers and they have also the right to get rest for 6 weeks before confinement and for 6 weeks after delivery on full pay, just like any other working mother employed at any other place. Are they not the mothers of the future crtizens of India? If the hon. Minister concedes this, then what steps is he taking to provide benefit to this vast section of work-What steps does he ing mothers? propose to provide benefit to those mothers who have to leave their new born infants on the embankments of the fields and have to go down to work in mud and silt? I would like a categorical answer to this from the Government.

A laige number of these women belong to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes. From that aspect also, Sir, they deserve special consideration from the Government. Then Sir, a few lakhs of women are employed in the handloom industries. How are they to get the maternity benefit?

Then there are large number of working women in the 'Bidi' industry and the Cashew industry. They do not fall under any category of so called 'establishment.' They are mostly employed in Small households or by small employers. They are neither covered by I.S.I. nor by maternity benefit. What is being done for their benefit? They will also be several laghs in number.

Then Sir, several lakhs of women are working as 'building workers'. What is being done about them?

There are many women doing innumerable work like fishing, vegetable vending, weaving mats etc. What benefit is proposed for them by the Government?

Sir, there are a large number of working women in the unerganised Sector. The Government should register all of them and keep a proper account of them. It is imperative for the Government to provide all such women with maternity benefit and benefits of insurance, in every city, block and village.

I will urge upon the Government to take immediate steps in this direction. If this is not done, then the maternity benefit will also elude the most deserving and needy sections of our country like many other welfare measures of the Government. It will only mock at them.

Sir, working mothers do not always get actual benefit due to the indifference of the Government in the enforcement of the law even where they are applicable.

Sir, even in the sphere of organised labout like Jute and Textile Mills, if we compare today's census with that of say 10 years ago, we will find that the number of women workers have been steadily reduced, probably to avoid giving maternity benefit to them.

Motherhood has become a danger for working women and the maternity benefit act is really having adverse effect on their employment potential and security of service, instead of helping them.

For nurses, Sir, what to speak of motherhood even marriage is a handicap.

Sir, child welfare is closely connected with maternity. In Raniganj, Asansol etc., there are arrangements for 'croches' for children, however inadequate they may be. But they are so mismanaged that it is very risky to leave the children in their care I will draw the attention of the Minister to this.

## 243 Maternity

#### (Shrimati Bibha Ghosh Goswami)

Sir, I conclude by saying that a great measuring-rod of the advent of socialism in the country is the degree of equal rights enjoyed by women and in that maternity and child welfare are very important. In this respect the present Government is a total failure.

I will request the Minister, on behalf of all mothers in India, to bring forward a comprehensive Bill or such amendments as to provide maternity benefit to all working mothers in India, whether married or unmarried, organised or unorganised.

MR. DEPUTY-SPEAKER: I quite agree with what our sister has said, that maternity benefit should be extended to all the women in India.

SHRI S. M. BANERJEE (Kanpur): You can object if she asked for benefit for men also.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Here I am concerned with guiding and regulating the proceedings of the House. I think that desirable objective can be taken up on some other occasion. say, the debate on the Health Ministry or some other Ministry. The Bill is concerned with the extension of these benefits to women working in the circus industry....(Interruptions) I am pointing out the scope of this Bill. I should request the speakers, those who speak later on to kindly keep the scope in view ..... (Interruptions) I do not understand this. I only say: please keep the scope of the Bill in view.

SHRI DINEN BHATTACHARYYA (Scrainpore): I rise on a point of order. Because of the maternity benefit, the jute mill-owners, the textile mill-owners and tea garden owners are now retrenching women workers in large numbers. If this fact is not brought out, how will the Minister know about it?.. (Interruptions). MR. DEPUTY-SPEAKER: I do no understand this. If you think that my interpretation of the scope of the Bill is wrong, you are welcome to point it out. What is wrong in my interpretation?

SHRI S. M. BANERJEE: Your interpretation is that this Bill is concerned with women working in circus industry.

MR. DEPUTY-SPEAKER: .... with extension of the Maternity Act to women working in the circus industry.

SHRI S. M. BANERJEE: Actually whenever there is an amending Bill in extension of the principal Act, in this case maternity benefit to be extended to women working in various industries, previously circus industry was not covered; now this is extended Our sister who initiated the debate brought to the notice of the House the horrible, the pitiable conditions of women working in various industries. This is the only opportunity, in the consideration stage. I can understand that during clause-byclause discussion we cannot possibly talk about these things. But at this stage can we not ask: it has been extended to the circus industry; it should be extended to other industries.

SHRI P. G. MAVALANKAR (Ahmedabad). I do not wish to challenge your interpretation. With all respect, I want to point out to you that if on occasions like this we do not have an opportunity to tell the Government that there are various other fields or industries to which such benefits should be extended ...

MR. DEPUTY-SPEAKER: It is the same point

SHRI P. G. MAVALANKER: Otherwise what will happen; if you restrict only to this, we shall have to say, yes.

MR. DEPUTY-SPEAKER: I am only pointing out the limited scope. I am not saying that you cannot say that this should be done here or there. But the point is, if you extend the scope so much, it becomes a major debate. The business advisory committee who went into the question saw that this is a limited Bill and no time has been allotted for this.

SHRI S. M. BANERJEE: There is no lady member on the business advisory committee. That is the reason.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Do you want to turn this House into some kind of tamasha?

SHRI S. M. BANERJEE We were discussing about circus.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Do you want to turn this House into a circus? Members can point a few examples and she has done it. But if you go too much far afield, it becomes another thing.

श्वी राम सिंह भाई वर्मा (इदौर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैटरनिटी बेनिफिट ऐक्ट के भ्रन्तर्गत जो अमेंडमेट लाया गया है उस के सबंध में मंत्री महोदय ने यह बताया कि चूकि राज्य सरकारों को ग्रधिकार दिए गए है कि वह जिन इंडरट्रीज में चाहे उन इंडस्ट्रीज की महिलाम्रों के लिने इसे लागू करें, लेकिन सर्कस का एक ऐसा काम है कि हर एक राज्य मे वह घमता फिरता है इसलिये सेंटर को इस में झमेंडमेंट करना पढ़ा है, मैं इस के सबझ में यह निश्वेदन करना चाहता हूं कि सर्कम को भी रजिस्टर कराने के लिये उस का मपना निजी स्थान होता है भौर उस स्थान के माधार पर ही रजिस्टर कराना होता है । मैटरनिटी ऐक्ट के अन्दर सुम्नार करने के लिये 1960-61 मे जब ज्वाइट सेलेक्ट कमेटी बनी थी उस समय बहुत सी इंडस्ट्रीज ऐसी हैं कि जिन को भी इंन्स्जुड करने के लिये सदस्यों ने निबेदन किया था। उस उक्त मंत्री महोदय ने यह भारवासन दिया था कि हम मुख ऐक्ट में यह धारा रख देते हैं भौर राज्य सरकारों को ग्रंधिकार दे देते हैं। ग्राज 13 साल हो गए, लेकिन राज्य सरकारों से मुल ऐक्ट के ग्रन्वर भवने प्रदेश के भीतर ऐसी दूसरी इंडस्ट्रीज में भी इस ऐक्ट को लागू नहीं किया जिस में 90

प्रतिशन महिलाएं काम करती हैं। मेरा निवेदन यह है कि यह छोटी सी इंडस्ट्री सर्कस की है जिस में महिलाझो की तादाद बहुत कम है झौर सरकार को इतनी भातूरता उस पर इम लागू करने के लियें हई । लेकिन मनोरजन के बजाय प्रोडक्शन मे काम करने वाली महिलाओं के लिये इसे लागू क्यों नही किया जाता है। हा पर 90 प्रतिमत बाइया काम कर रहीं है उन इडस्ट्रीज पर इसे लागू क्यो नहीं किया जाता है? उन को म्राप ने राज्य सरकारों के ऊपर छोड़ दिया है। इसी दिली के ग्रन्दर ही कस्ट्रक्शन वर्क के अन्दर कितनी ही महिलाएं काम कर रही है झौर वह कस्टूक्शन के कांट्रेवटर उन्हे दिल्ली ले से हरयाने जाते हैं, पंजाब मे भी ले जाते है, राजस्थान मे भी ले जाते हैं वहा भी वे कस्टुक्शन का काम करते है। लेकिन उन पर ग्राप ने इसे लागु क्यो नहीं किया है ? जो बडी भारी मेहनत का काम है ? मत्री महोदय को इस पर विचार करना चाहिए ।

Ril

कितने ही प्रदेशों के अन्दर मैने देखा है कि आयल मिल्स के अन्दर, सुगर मिल्स, जीनिंग फैक्ट्रीज के अन्दर और दूसरी मिल्स के अन्दर कितनी ही महिलायें काम करती हैं लेकिन उन के ऊपर इसे लागू किया गया है। बीड़ी उचीग़ है, उस में 95 प्रतिशत महिलाए काम करती हैं लैंकिन उन पर भी मह एकट लागू नहीं किया गया है। कितने ही काम हैं, रोड का काम है उस के अन्दर 12 महीन महिलाएं काम करती हैं। वहां यह एकट लागू नहीं किया के इस लिए आपको सारे एक्ट के ऊपर फिर खे विचार करना चाहिये। राज्य सरकारों के ऊपर छोड़ देने से जरा भी नेरा विश्वास नहीं है कि बह कही भो इस एंक्ट को लागू करेंगी।

एक कठिताई इस एक्ट के झन्दर झौर है। झापने जो हाजिरी के 160 दिन रखे हैं कि जिस महिला के साल भर के झन्दर 160 दिन की हाजिरी होगी उसी को इस का लाभ मिलेगा, इस का बहुत बुरा परिणाम हो स्हा

# [क्री राम सिंह झाई वर्म]

है। वह यह हो रहा है कि इम्पलायर किसी भी हालत में एक भी महिला का 160 दिन पूरा होने ही नहीं देते हैं। बहुत सी ऐसी इंडस्ट्रीज भी हैं जहां महिलाओं का ही ज्यादातर काम है, जिसमें पूरुष काम नहीं करते हैं, महिलाएं ही करती हैं, वहां भी महिलामों की तादाद वे ज्यादा रखते हैं। उसमें दो दिन एक को काम दिया, दो दिन दूसरे को दिया, दो दिन तीसरे को दिया, इस तरह से वह करते हैं ग्रौर 160 दिन नहीं होने देते . 240 दिन की हाजिरी मापने ग्रच्यटी के लिए भी रखी है मौर लीव विद वेज के लिए भी रखी है, बहुत सी बातों के लिए यह बन्धन ग्राप ने रखा है। लेकिन मेटरनिटी बेनिफिट के भ्रन्दर से स्राप यह 160 दिन की हाजिरी का बन्धन उड़ा दें, क्योंकि इसके कारण उन बहनों को इसका लाभ नहीं मिल पाता है मौर एम्प्लायस इस से बरी हो जाते हैं 1

इसके साथ साथ जो बहनें मेटरनिटी बेनिफिट का लाभ लना चाहती हैं उनको बच्चा पैदा होने से पहले 6 सप्ताह ग्रौर बच्चा होने के बाद 6 सप्ताह का जो वेतन देते हैं उसमें ग्रापने एक रुपया पर डे मिनिमम रखा है। एक रुपये मिनिमम का ग्राज कोई मतलब नहीं है। इसलिए इसको निकाल देना चाहिए ग्रौर इस राशि को बढ़ाना चाहिए।

दू सरे, ग्रापने यह रखा है कि 6 सप्ताह का जो बेतन दिया जायेगा वह पिछले तीन महीने का एवरेज निकाल कर उसके हिमाब से दिया जायगा। ग्राप जानते हैं कि मलिार्झों से जो काम लिया जाता है वह पीस रेट के ऊपर लिया जाता है त्रोर कितना ज्यादा काम उनको करना पड़ता है। एसी हालत में कोई भी महिला जो गर्भवती होती है वह गर्भ होने के 6 महीने, बाद पांच महीने बाद बराबर रेगुलर काम नहीं कर पाती है ग्रौर काम न कर पाने के कारण महीने में 15 दिन

बैर हाजिर रहती हैं। भगर पिछले तीन महीने का एवरेफ भापने निकाला तो तीन महीने की हाजिरी में डेड महीने का बेतन उसका होता है। इसलिए उसको एवरेज के हिसाब से बहुत कम मिलता है। तो तीन महीने का एवरेज निकालने के बजाय उस का पर-डे का बेतन क्या है उसके माधार पर 6 सप्ताह को बेतन मेटरनिटी के पहले मिलना चाहिये भीर बच्चा होने के बाद के 6 सप्ताह की जो छुट्टी रखी है वह 6 सप्ताह की छुट्टी के बजाय तीन महीने की छुट्टी रखनी चाहिए ग्रोर तीन माह का वेतन देना चाहिये। बच्चा होने के बाद कोई महिला ऐसी नही होती है कि जो तीन महीने तक काम कर सके । मगर फिर भी उसको काम पर जाना पड़ता है झौर वह इसलिए कि ग्रगर वह काम परन जाये तो उसे बेतन नहीं मिलेगा, काम पर जाने से उसकी तन्द्ररुस्ती बहत खराब हो आर्ती है। डाक्टरों की भी राय है कि बच्चा होने के बाद तीन महीने तक काम पर नही जाना चाहिए । डाक्टरों की यह राय है कि आप-रेशन हो जाने के बाद कोई भी भारी काम बोझा वगैरह उठाने का नहीं करना चाहिए । लेकिन कांस्ट्रक्शन के अन्दर श्रौर बिल्डिंग वर्क्स के अन्दर तथा खदानों के अन्दर काम करने वाली महिलाओं को कितना भारी काम करना पड़ना है, यह आपको पता है। इसलिए मूल ऐक्ट में यह भी सुधार करना चाहिए कि बच्चा होने के बाद 6 सप्ताह की नही बल्कि तीन महीने की तनख्वाह उन्हें मिलेगी ।

इस कानून में थोड़े बहुत सुधार जो प्रापने रखे हैं उसके साथ साथ मैं यह भी निवेदन करूंगा कि इस कानून को माइन्स के प्रन्दर काम करने वाली बहुत सी एसी मलिए हैं जो कांट्रेक्टर्स के प्रन्डर काम करती हैं, उनके ऊपर भी लागू करना चाहिए । वे मेरे बोड़े से सुझाव हैं। मेरा निवेदन हैं कि मंती महोदय इन पर विचार करेंगे । सभी बहनों को

Bill

न्थाय मिले इसी ग्राशा के साथ में झपना निवेदन कर रहा हं।

MR. DEPUTY-SPEAKER: I think, I must modify my interpretation of the scope of the Bill a little bit and interpret it more elastically. Going through the provisions of the Bill, I find that the Government itself does not confine to the extension of these maternity benefits to the women workers in the circus industry. They have tried to amend clause (e) of section 3 of the Act to ze-define a factory, mine, plantation and all sorts of things. They themselves have sought to extend the scope and not confine it to the circus industry. Therefore, the Bill as it is drafted-not the scope as defined by the Statement of Objects and Reasons -does give scope for the members to refer to the other fields or industry as well.

Shrimati Bhargavi Thankappan.

\*SHRIMATI BHARGAVI THAN-KAPPAN (Adoor): Mr. Deputy-Speaker, Sir, this Maternity Benefit (Amendment) Bill seeks to benefit a major section of women workers engaged in the circus industry. I am happy to welcome this Bill. Whenever we frame any law or make any amendment in any law we must bear in mind one very important thing. However good the law may be, however laudable the objective of a particular Bill may be, unless and until a social awareness is created among the people the desired result cannot be achieved. When I make this remark from my own experience anybody can guess what the reason is. There are a number of provisions in the Constitution which provide protection to people belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and minorities. There are many laws in our country to punish those who harass people belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Backward Classes. But we also know what amount of atrocities are being committed on these poor people. It is

very difficult to mention them here. It is not because there is any dearth of law to protect them, but the officials in charge do not take any action. Therefore, it is not only necessary that we pass laws but we should also see that they are implemented properly. Here the Government has failed and I want to point it out to them.

While I am on this particular problem relating to women workers in circus industry I have to bring to the notice of the Government one very important thing. Unless the women workers engaged in circus industry get security of job this maternity benefit will not be of any use to them. In the cashew industry, jute Industry, handloom industry, match industry and in the plantations there is a practice to retrench women workers in large numbers. Just because under the law the employers have to give maternity benefit they retrench the women workers. Sir, cashew industry is a traditional industry in Kerala. 95 per cent of the workers in this industry are women. Out of more than hundred cashew factories only twenty-five have been taken over by the Cashew Deve-In the other lopment Corporation. factories, after six months or ten months on one year they close them down and shift themselves to other States where by employing cheap labour they reap rich profits. Unless stringent measures are taken against these profiteers our poor women workers will not get the maternity benefit.

In this connection I have to point out one more thing. In the original Maternity Benefit Act (1961) there is a special provision that Rs. 25 should be paid as medical loans to the women workers. Twelve years have passed and we are now in 1973 The prices of articles have risen so high that with Rs. 25 they will not be able to purchase anything for their pre-natal and post-natal care. My request is that today this provision of Rs. 25 should be raised to Rs. 100. Along with the increase in the prices of other articles

- ----

The orignal speech was delivered in Malayalam.

[Shrimati Bhargavi Thankappan] the prices of medicine also go up. This should be considered by the Government. One doctor, one nurse and one assistant should be provided in each factory where there are hundred or more than hundred women workers for giving them pre-natal, post-natal treatment. The Government should give proper direction to the employees to give maternity benefit in time at least once in six months or once in a year

A major section of women workers have been excluded from the purview of this amending Bill and also the oliginal Act-they are the agricultural labourers, workers in match factories handloom workers, coir workers and others In the match industry women do the work sitting in their homes There is no connection between such workers and the employers So far as the workers do not have any direct connection with employers they do not get any benefit under this Act Therefore they should also be brought under the purview of this Bill At present there is a practice to retrench many women workers and not to give them employment to avoid giving the maternity benefit This practice should be stopped even if I should say, we have to bring in DIR for that purpose

The cashew factory owners in Kerala have discovered a new n ethod of danying the workers their rights They close the factories, take the nuts to other States and start cottage industries In those States women do not get any work and women workers who have put in gix to seven years service do not get any maternity benefit. The Government should take strong action to stop this practice being adopted by the employers

Mr Deputy-Speaker, Sir, you were pleased to say that Members should confine their remarks to circus industry But when we find that these pro visions cover workers in other industries also

MR DEPUTY-SPEAKER No, no; I have revised that

SHRIMATI BHARGAVI THAN-KAPPAN: We have to wait and see whether employers in these industries will discharge pregnant women workers from theii service In my opinion women workers will be discharged from service when they get married or when they become pre gnant Uniess some measures 15 brought forward by the Government. to check this practice the factory owners will definitely discharge married women workers from tervice. This problem is already existing in plantation and other industries That is why I have brought this to the notice of the Government I hope the hon Minister will take necessary action.

भी बमोबर पहंडें (हजारी बाम ) उपाध्यक्ष महोदय, इस बिल का मैं हदय से स्वागत करता ह क्यो कि सही दिशा मे यह एक भ्रच्छा कदम है। सभी तरफ से इस बिल का स्वागत हम्रा है। लेकिन मेरा ब्याल था कि सरकार को भौर व्यापक क्रबम उठाना चाहिए था, भीर यह बिल जिम रूप ने ग्राया है उसको ग्रौर सगोधित रूप में रखना चाहिए भा। बिल में यह व्यवस्था है कि फैक्ट्री भौर खदानों में काम करने वाले, जहा ई० एस० ग्राई० की स्कीम लाग नहीं है मजदरो को चो कि महिलाये है, उन भौरत काममारो को मैटर्निटी की सुविधा मिलेगी । लेकिन देखा यह जाता है कि खदानी मे, कारासतों में जडा ई० एस० माई० स्कीस नहीं है, वहा सभी महिला कर्मचारियों को यह सुविधा नहीं मिलती है। खदानों में मुमी भी बहुत सी ठेकेदारी से काम करने जानी महिला कर्मचारी हैं। बब तक प्राइवट सेक्टर में कोयला सदाने थी तब तक कोई इस बाब पर इसलन लडी देता था। लेकिव गव जब कि कोमला खानो का राष्ट्रीयकरण हो ग्रसा है हालांकि समी मामलो मे सरकार ते कह जिस्त्रेपाती के जी है कि बेकेपाली के जो मजबूर हैं उन के बेसन आदि के भूक्सान की जिम्मेदारी सरकार की है, लेकिन यह एक पेसा कानून है कि जिस की जिस्मेदारी झणी पब्लिक सैक्टर झन्डर टेकिंग नहीं उठा संजी है।

इसी तरह के कंस्ट्रक्शन उद्योग है। जहां जहां भौधोगीकरण होता है तो कंस्टब्शन बर्क भी प्रासेस में भा जाता है। बहत सी कम्यनियां कंस्टुक्शन की खल गई हैं जो एक सैट के मजदूरी को छाटकर दूसरे मजदूरी को रखती हैं, जब कि वह कम्पनी मौजद रहती है। इसलिए जो कस्टक्शन उद्योग में महिला कर्मचारी काम करती हैं उन के सिए भी यह मुविधा लाग होनी चाहिए थी। बिल में इस का प्राविधान नही है, इस का मझे दुख है । मैं चाहता हं सरकार इस पर विचार करे, झौर भगर मभी नहीं तो भागे बहत जल्बी इस बिल में ऐसी व्यवस्था करे कि इस सरह की जो महिला कर्मचारी है, जहां मजदूरों को ई० एस० माई० से कबर नही किया गया है, सभी जगह महिला कर्मचारियों को इस बिल के अन्तर्गत लाया जायगा. खासकर. पश्चिम सैक्टर अन्डर टेकिंग में जहां ठेकेदारी के मजदूर काम करते हैं। मैं चाहता हूं कि सरकार की तरफ से डायरेक्टिव हो पब्लिक ग्रन्डरदेकिंग्स को, जब सभी मामलों में माप ने जिम्मेदारी ली है, उन की नौकरी की शतों को पूरी करने की, उन की छटटी की जिम्मेदारी है. सिकनैस की जिम्मेदारी है, तो मैटीनटी बेनीफिट की भी जिम्मेदारी डन को लेनी चाहिए। जो कि झमी नहीं है। प्राइवेट उद्योग में जब कानून बना कर मजदूरों की सारी जिम्मेदारी प्रिन्सिपल ऐमप्लायर पर छोड बी है. मिनिमम वेज की गारल्टी उन की है, भीर जो भी मिनिमम बेज पे होता है उस के लिए प्रौबीजन है कि भगर ठेकेवार पेमेन्ट नहीं कर सकेगा तो उस के बिल से काट कर प्रिन्सिपल ऐमालायर चस का पेमेंट करेगा, तो यह छोटी सी व्यवस्था भी करनी चाहिए । मैं चाहता हं सरकार इत यर ज्यान दे मौर मगर सीखे डायरेक्टिव से इसको लागू महीं कराया जा सके, तो विस में संज्ञोधन किया जान । 3492 LS-0

भी हुकम चन्द कछवाय (मुरेता) : उपाव्यक्ष महीदय, जो बिल हमारे सामने भाया है, इस का में स्थागत करता हं। परन्त इस बिल में काफी बुटियां हैं, कमियां हैं। पता नहीं मंत्री बहोदय सर्कस के कला-कारों से कैसे प्रभावित हुए हैं। देश में ऐसे बहुत से उद्योग हैं जिन्हें झाप ने छोड़ दिया है। ज्यादा भच्छा होता मंत्री जी इस बिल को विस्तार से सदन के सामने लाते जिस से घर बनाने वाले मजदूर, सडक पर काम करने बाले मजदूर, होटलो में काम करने वाले मजदूर, हयकर्षा में, बीडी कारखाने में काम करने वाले मजदूर भी इम बिल के ग्रन्तर्गत ग्रा जाते। कोई भी फैक्ट्री हो, चाहे तेल की हो, शयर की हो, जिनिग या काइर फैक्ट्री हो, इन सब में काम करने वाले काफी मजदूरों को भाप ने छोड़ दिया है। इसलिए बिल में काफी कमियां हैं। मैं मानता ह झाप मेरी बातों से सहमत हैं, ग्राप भविष्य में बहत जल्दी, ऐसा बिल लायें जिस में कोई छटे नहीं ग्रीर देश के ग्रन्दर जितने भी काम करने वाले हैं, प्रत्येक मजदूर पर यह बिल लागू हो, चाहे वह घरेलु कर्मचारी हो या सिनेमा कर्मचारी हो, उन सब पर यह बिल लाग हो ।

सारा सदन इस बात को जानता है कि बहत में लोग इस के लाभ से वचित है लेकिन जिन क्षेत्रों में लाभ मिल रहा है वहा भी बहत सी कमियां हैं। उदाहरण के लिए बाय बागान लीजिए। यह बिल वहां लागू है, लेकिन क्या दशा है वहां ? बहत दयनीय स्थिति है उन की । धौरतें बच्चे बागान में नहीं लेजा सकती। उन के लिए सरकार ने कानन बनाया कि छोटे छोटे हाल बनने चाहियें जहा थाई बच्चों को देखे। वहां बण्चों को रखने की व्यवन्था नही हैं जहां छोटे बच्चो को छांड कर जा सके । इसलिए ग्राप इस बिल की व्यापक बनाइये जिस के कारण उस का साम प्रधिक महिलामों को मिल सके। केवल प्राप सर्कस के लोगों को प्रभावित करना चाहते हैं ।

Maternity

[श्री हुकम चन्द कछवाय]

वो पैसा भाप देते हैं यह बहुत कम है। कम से कम इस बात पर तो विचार कीजिए कि जिस समय यह कानून बना था उस समय बीजों के दाम क्या थे धौर उन का बेतन क्या था। धाज की परिस्थिति में जो दिया जाता है वह बहुत कम है। धगर धाप ऐसा मानते हैं तो उन को धधिक पैसा बीजिए, धौर जच्चा होन के एक वहीने पहले छूट्टी बीजिए तथा जच्चा होने के तीन महीने वाद तक उस महिला को धाराम की सुविधा बीजिए । ऐसी व्यवस्था इस बिल में होनी चाहिए, नहीं तो बड़ी कठिनाई होगी ।

कोयला खानों में जो ठेकेदार मजदूरों को काम पर लाते हैं उन से चार, पांच महीने काम कराते हैं उस के बाद उन की छट्टी कर देते हैं, यानी बदलते रहते हैं। इसलिए जो ठेकेदारी से काम करवाते हैं उन पर भी संबिल को लागू कीजिए चाहे मजदूर ने एक महीने का काम क्यों न किया हो उस ग्रीरत मजदूर को इस का लाभ मिलना चाहिए। मैं आशा करता हं कि जितनी बांतें यहां बतायी गई हैं उन को मंत्री जी ने नोट किया है, भौर मधिक से मधिक लोगों को इस बिल का लाभ मिले, चाहे किसी क्षेत्र में काम करने वाले हों, इस बात की व्यवस्था मंत्री जी बिल में ग्रवस्य करेंगे । जितनी बातें यहां कहीं गई हैं उन को झ्यान में रख कर इसरा बिल मंत्री जी लाने की क्रपा करें।

भी घड प्रताप सिंह (बाराबंकी) प्रावरणीय उपाध्यक्ष जी, मैं माप का हृदय से ग्रामारी हूं जो ग्राप ने मुझे प्रसूति प्रसुबिधा (संगोधन) विधेयक, 1973 पर प्रपने दिवारों को प्रकट करने का ग्रवसर दिया है।

श्रीमन, माज इस माननीय सदन के समक्ष एक अत्यन्त महत्वपूर्ण विधेयक प्रस्तुत है। हमें इस विधयक पर अत्यन्त गंगीरतापूर्वक विचार करते हुए अपने विचारों को प्रकट करना है। श्रीमन् नारियों के संबंध में किसी कवि ने ठीक ही कहा था :

"तारी जीवन हाय तुम्हारी यह कहानी। सांचल में है दूघ सौर सांबों में है पानी।।

यह स्तियों की स्थिति है पूरे देश भर में। मान्यवर इससे झाप सहमत होंगे कि सत्वयुग, तेता, द्वापर भीर कल्पुग, युगों युगों तक बराबर नारियों का गोवण हुआ है और साथ ही साथ उन के साथ विषमता का व्यवहार हुआ है। माज इस बीसवीं शताब्दी में भी हम इस बात को कह सकते हैं कि व्यवहार रूप में माञ भी भारत की स्तियों को पूरुषों की मांति समानता का स्थान हम ने नहीं दे रखा है। यदि नियम के द्वारा हम ने कोई व्यवस्था की भी है, तो जीवन में, समाज में सभी भी उन्हें समानता का खान नहीं मिल पाया है ग्रौर यही कारण है कि ग्राऽ: भी देण **के सन्द**र ऐसी स्थिति है कि कहीं कहीं उठा हम उस को समानता का स्थान दे भी रहे हैं, वहां हम ने उस की पूछा तो की मगर उस की पत्यर समझ कर पूजा की। हम ने यह नहीं सोचा कि वह भी एक मनुष्य है, उस के मन के मन्दर उस की ग्रावश्यकतायें हैं, उस की भावनायें हैं, उस की ग्राकांक्षांयें हैं। इस की (तरफ कभी हम ने ध्यान नहीं दिया और इस तरफ हमारा घ्यान जाना चाहिए ।

मैं ग्राज मंत्री जी को इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूं कि माज इस मान-नीय सदन में एक विधेयक लाया गया है जिस के जरिए से महिलाओं के लिए, नारियों के लिए जो झाज एक झंसुबिधा है, उस को सुविधा में परिवर्षित करने का प्रयास किया जा रहा है मौर इस बात की प्रसन्नता है कि हमारी कांग्रेस पार्टी, फिस की नेता हमारी जीमती इंदिरा गांधी है, इस बात का सदैव प्रयास करती है कि जिस तरह से हरिज्जों को, पिछड़े बगों को, दलित बगों को, जोवित वगों को झीर सर्वहारा बगों को सामाफिक म्याय मिले, झाबिक न्याय मिले, उसी सरह

256

से महिलाकों को भी न्याय दिलाने का प्रयास करती है मौर इस के लिये मिरन्तर प्रयास -किया जाता है। जितना प्रयास किया गया है, बह सराहनीय है मगर प्रव तक जितना किया गया है वह झावयस्कता का केवल दस प्रति-मत ही है मोर मैं यह कहना बाहता हू कि इस दिशा मे अभी बहुत कुछ करने की झावश्य-कता है ।

मन्यवर, इस सम्बन्ध म मैं थह निवेदन करना चाहता था कि महिलाओं के सम्बन्ध में जैभा कि हमारे पूर्व वक्ताओं ने कहाँ कि जो अम का काम करती हो चाहे वे यही भी कार्य कर रही हो, चाहे वारखानों मे हों. चाहे खानों मे हीं, चाहे बागानों मे हों झीर चाहे घुडसवारी की कला के क्षेत्र में कार्य कर रही हों, उन की सुविधाए दी जाए । इस के साथ-साथ जैमा कि श्रीमान जे इस माननीथ सदन को ज्ञात है कि भारत एर धवि प्रधान देश है श्रीर अधिकास महिलाए 75 फीसर्द, जो श्रमिक के रूप में काम करती है, वे खेरीहर मजदूरों के रूत में बाम करती है। इसलिए में यह कहना चाहता ह कि देश की 75 प्रतिशत महिलाए जा श्रमिक के रूप मे काम कर रही। है ग्रीर थे खेताहर मजदूर के रूप में काम कर रही है उन की सोर भी हम ध्यान देना होगा । यह बहुत भ्राण्वयक बान है ।

साथ ही नाथ यह भी ग्रावण्यक है कि हमे इस को देखना है कि जा हम इम विवेधक के ढारा सुविधाये उन्हें प्रदान करने था रहे हैं, इस बात की तो में सराहना करना हू, लेकिन साथ में इस बात को भी कहना चाहता हू कि हम इस बात से केवल मतुष्ट न हो आए कि हम ने महिलाओं को, नारियों को जो अभिक के रूप मे देग में काम कर रही हैं विभिन्न क्षेत्रों मे, उन्हें कोई सुविधा कानून के ढारा हम प्राप्त करा दे, उपलब्ध करा दे, वह केवल पर्याप्त कही है। हमे यह भी देखना होगा कि जो सुविधाए हम ने सविधान के द्वारा, नियम के द्वारा उन्हें प्रदान की हैं, क्या व्यवहार रू में जीवन में उनको उसका साम मिल रहा है या नहीं। जैसा की म्राप जानते हैं कि हम ने हरिजनों के लिए कहा कि उन्हें ग्रतिरिक्त भूमि मिले, लेकिन व्यवहार रूप मे उन्हें जो अतिरिक्त भूमि मिलनी चाहिए वह नही मिली सही माइनों में। इसी तरह से कही ऐसा न हो कि महिलाझों के लिए प्रसुति प्रसूविधा विधेयक द्वारा जो सुविधाए हम उन्हें प्रदान कर रहे है, उन्हें माननीय मतीर्ज। देखे कि सचमुच मे जो सुविधाए हम उन्हे अब तक दे चुके है वे सुविधाए उन्हे प्राप्त हा रही हैं या नहीं और जो मुक्षिण धब हम देने आ रहे हैं वे उन्हें प्राप्त हो, यह बहुत आवश्यक है। तभी हमारे इन विधेयक को यहा पारित करने का, उस को यहा पास करने का सचन्च में लाभ श्रमित महिलाओं को मिल सकेगा।

इस के साथ ही साथ में यह भी निवेदन करना चाहना ह कि इस दिशा में अगी तक जितना योग किया गया है, वह बहुन कम है जैमा कि मैं ने अभी निवेदन किया था और इस यात की वहा आवण्यकता है कि इस दिशा में अधिक में अधिक काम किया जाए, उनके कार्य की परिस्थिति में भी और जो मुविधा हम उन्हें दे रहे है उन में भी ।

मान्यवर इस बात से माननीय सदन सहमत होगा कि म्राज भी महिलामों के साथ, चाहे वे कारखाने में काम कर रही हो, चाहे वे खेतिहर मजदूर के रूग मे काम कर रही हो, उन का बड जमीदारो के द्वारा, बडे भू बस्वामियों के द्वारा, यह मामतवादियों के द्वारा मौर बंड पूजीपतियों के द्वारा, मायिक रूग से, मानसिक रूप मे ग्रीर मुप्ते दुख के साथ कहना पडना है कि शारीरिक रूप से भी, शोडण किया जाता है । यह स्थिति बहुत मच्छी नही है । देश की स्वतन्द्रता का रजत जयनी वर्ष में हम न मा चुके है ग्रीर स्वर्ण-जयंती वर्ष में हम न प्रदेश किया है । हमे प्रसन्नता है कि मरकार इस

# [बी का प्रताप सिंह]

बात के लिये कटिवढ हैं कि किसी प्रकार से उन का बोथण न हो भीर हम धाशा करते हैं कि इस प्रकार की व्यवस्था की जाएगी कि उन का किसी प्रकार से भी शोषण न हो सके धौर उन्हें भी समाज के घन्दर उन का समान दर्जा मिल सके घौर झाथिक न्याय उन को प्राप्त हो सके।

मं बहुत समय नही लेना चाहता । इन सब्दों के गाथ में प्रभनी बात को समाप्त करना चाहना हू कि हमारं। जो सदैव भारतीय संम्हात रही है, उसी संस्कृति को दृष्टि में रखने हुए हम नारियों को उन का उचित स्यान समाज मे देगे । "यत्न नार्यम्य पूजयन्ते रमन्ते तत्न देवता । यह भावना हमारे मन मे होगी, तभी हम सचमुच मे महिलाम्रों, धमिक महिलाम्रो के साथ न्याय कर मकेगे ।

भन्त मे मैं महाकवि प्रसाद जी की दो पंक्तियां कह कर भ्रपनी बात को समाप्त करता ह

नारी तुम केवल श्रद्धा हो विक्वांस रजत नग पंग तल मे ।

तुम पीयूथ सी बहा करो जीवन के सुन्दर समतल मे ॥

इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता ह।

•SHRI J. MATHA GOWDER (Nigris): Hon. Mr Deputy Speaker, Sir, on behalf of my party, the Dravida Munnetra Kazhagam, I rise to express my views on The Maternity Benefit (Amendment) Bill, 1973.

Sir, this small piece of amending Bill seeks  $t_0$  extend the maternity benefits to the working women in the circus industry. At the outset, I should wholehear edly welcome this Bill because for the first time in 25 years of our independent existence the working women in the circus industry are being brought under the purview of the Maternity Benefit Act, 1961.

Here I would like to point out that the Government have taken five long years to formulate this amending Bill with five clauses. As early as 1968, the Labour Bureau conducted a survey of the conditions of living of the working women in the circus industry and found that these women were not geting the maternity benefit. The Labour Bureau submitted its Report to the Government on the basis of which this amending Bill with five clauses has been brought before this House by the Government. I would like to know from the Government the reasons for the inordinate delay of five years in bringing forward this Bill of 5 clauses before this House.

I know that the hon. Minister will advance the argument that the Government had to consult the State Government before formulating this amending Bill. I would like to inform you, Sir, that the home of circus industry is the State of Kerala only, particularly confined to Kannanore and Tallacherry of Kerala. I should also mention the fact that all the 29 Circus Companies are registered only in the State of Kerala. It would have been enough if the Central Government had elicited the view-points of the Kerala State Government alone That would have helped the Government in expediting the legislative proposals. When there is no circus industry in any other State, what is the use of consulting all the State Governments about extending the maternity benefits to the working women in the circus industry? I do think that the delay of 5 years due to the consultations with the State Governments untenable in this particular is matter. If you look into the circus industry, you will find that there will be about 1000 working women in the 29 Circus companies. I am afraid that the Government may take a cen-

<sup>&</sup>quot;The original speech was delivered in Tamil.

tury more to enact an integrated and comprehensive social welfare legislation for the crores of working women in our country. I am constrained to make this uncharitable remark because of the delay of 5 years in formulating a Bill of 5 clauses for about 1000 working women in the circus industry.

It is all the more regrettable that such delays should occur when the country is being ruled by the progressive woman Prime Minister. Shru mati Indira Gandhi. You know, Sir, that there are lakhs of working women in the Beedi Industry, in the Cashewnut industry and in the match-manufacturing industry. There are 1.5 crores of working women in agriculture. 50 per cent of about 3 crores of agricultural labour is women. In the Silver Jubilee year of cur Independence, in the benign Government of a lady-Prime Minister, these crores of working women do not have maternity benefits. Many hon. Members, who preceded me, pointed out the plight of lakhs of working women in the construction industry in the Capital City of Delhi. Without for a moment down-grading the importance of this amending Bill, I would like to say that, instead of confining the maternity benefit to the working women in the circus industry. the Covernment should have brought out a comprehensive amending Bill for extending the maternity benefits to all working women in the country. 1 would also say that the Government of Mrs. Indiva Gandhi would have done well to bring forward such a comprehensive bill extending the maternity benefits and such other primary amenities to the crores of working women in our countrq.

Sir, it is very necessary for the Government to make these provisions simpler so that the ignorant working women in the rural areas are able to avail of them I need not say that the working women in the rural areas do not get even ordinary medical attention in times of need. How can we

### 2, 1895 (SAKA) Benefit (Amdt.) 262 Bill

expect them to understand the complicated rules and regulations regarding benefits during pre-natal and postnatal periods. As has been pointed out by hon. Members who proceeded me, it is definitely beyond their comprehension as to what they will get during the pre-natal period and during the post-natal period. The law should make it clear that they would get a particular sum as maternity benefit for three months or so. Such a clear enunciation will reduce their dependence on others for availing of this facility. I request the hon. Minister to pay his personal attention to this problem also. It is not enough that some benefits are provided for in a law; it should be made possible for the working women to avail of these benefits.

Before 1 conclude, I would refer to problem. In the anothe graphic cashew-nut industry in Kerala, the women are made to work in their homes. This reduces the liability of the industrilists in the matter of maternity benefits etc. to these working women. The industrialists are always clever in circumventing the provisions of law. They know that if the women are asked to work in the tactories, then they have to give them proper salary, bonus etc. besides the amenities like maternity benefits. They distribute the raw material in the homes of working women and later on collect the finished products. Thus, the working women are not only deprived of fair wages but also amenities like maternity benefits. I sm compelled to point out that the Central Government seem to be encouraging the industrialists to indulge in such unfair practices If the Government had wanted to do good to the crores of working women in the country, they would have long time back brought forward a comprehensive and integrated social welfare measure for the working women in our country. The very absence of such a law has forced me to charge this Government that they are oblivious of the manifold problems of working women in nour country.

### 263 Maternity

#### **DECEMBER 3, 1978**

#### Benefit (Amdt.) 264 Bill

[Shri J. Matha Gowder]

#### 15 hrs.

In conclusion, I demund that the Maternity Benefit Act, 1961 should be amended in a comprehensive manner so that the crores of working women in agriculture, in Beedi industry, in cashew-nut industry, in match-making industry and in such other industries where the industrialists are circumventing the law by making the women work in their homes are enabled to get the maternity benefits and such other amenities.

भीमती सहोवरावाई राय (मागर) उपाध्यक्ष महोदय, यह जो विवेनक लाया गया है इसका मैं स्वागन करनी हू, लेकिन थोडे से जब्द इमके सम्बन्ध में कहना चाहती है। इम विवेधक को मत्री महोदय ने सोच विचार कर के नहीं रखा। मुझे तो ऐसा लगता है कि वह कुमारे है, उन की शादी नही हई है, उनको इस के बारे में कोई ग्रन्भव नही है। महिलाग्रों के बिना देश का विकास नही हो मकता । घर, गृहस्थी, जमीन, खरान किसी भी जगह महिलामो के बिना काम नही चल सकता । मेंने मपने मनुभव से देखा है. मैं 56 माल की उम्र में कई जगह म्राई गई हं. कि महिलायें खेतों में काम करती हैं. बदानों में काम करती हैं. हमारे मध्य प्रवेश मे बह बीडी उद्योग मे काम करती है, छत्रपुर मीर बंगाल में बह धान के बेतों मे जाकर काम करती है, ग्रसम ग्रीर उड़ीसा में वह चाय का काम करती हैं। इसके साथ माथ जब पति को नौकरी भिलती है ग्रीर बह उन के दफ्तर मे जाती हैं तब उनके साथ तीन बोस होते हैं। एक तो बन्धा अनने का वजन, वसरा बोझा यह होता है कि बच्चे को कन्धे पर रख कर ले जाना पडता है. फिर भर मे ग्राकर पति के माराम के लिये रसोई ग्रादि करनी पढतो है। मैं कहना चाहती ह कि महिलाझो को सिर्फ सोते समय दो बार घटे का आराम मिलता है।

ऐसी दशा में महिलाओं के बारे में सोच विचार करके विश्वेयक लाया जाना चाहिये लेकिन इस विधेयक में भापने सिर्फ सर्कस की महिलाओं को रखा है। शायद श्राप ने कभी सर्कस देखा हेगा और पाया होगा कि महिलाय वहां पर चकी सी रस्सी पर घमती है। इसीलिये उनमें दिलचस्पी ले कर इस वित्रेयक को यहा रक्खा। यह ठीक नहीं है शायद राजपुताने या किसी मीर जगह की योडी सी महिलामों को इससे सहायता मिल सकती है लेकिन हमारे देश को चलाने वाली महिलाएं है। जो महिलाऐ समार को मारो ले जाती है बिकाम की तरफ उन के लिये माप ने इस विवेयक में कोई सूबार नही रखा। शायद आप श्रोरो के बारे मे रखना भूल गये है। लेकिन ग्रमी भी कोई ज्यादा समय नहीं बीता है. झब भी प्राप गख सकते है ।

प्रगर माभ ने महिलामों के साथ खिलवाड किया भौर उनके लिये ठीक नियम न बनाये तो वह दरवाजे तोडेंगी घोर सत्याग्रह करेगी तथा भ्रपने लिये ठीक नियम बनव। कर रहेगी। भाज महिलामों ही पुरुषों को मागे ले माती है। महिलामो ने ही मापको बहुमत दिया है जितने वोट महिलामो के हैं उतने पुरुषो के नही हैं। पुरुष तो बदल जाते है, लेकिन महिलामों ईमानदार होती है, वह दिये हुए अचनों से हटती नही हैं। इस समय जो बहुमत मापको मिला हुमा है वह महिलामो के कारण मिला है। वह पिछौरी मोढ़ कर बुर्का मोढ़ कर गई हैं भौर कांग्रेस को बहुमत मे मेजा है।

MR. DEPUTY-SPEAKER: Nobody is against women.

वीवती सहोदराबाई राय. मै कहना बाहती हू कि हालांकि इस विश्वेयक का सारी महिलामों से सम्बन्ध नहीं है लेकिन देस में महिलामों के बिना बिकास नहीं हो सकता, देस मागे नही चल सकता है उन्होंने सतयुग, लेता, द्वापर झौर कलियुग में बड़े बड़े महान पुरुषों को जन्म दिया है। उन्होंने ध्रुव जैसे बच्चों को बन्म दिया है, जो राजनीति में झागे झाये है। हमारे यहां ही पंड़ित जी झौर महात्मा जी बैसे बड़े नेता हुए।

> महिला महिला जिन जानिये महिला रतन खदान.

महिला ने जन्मे पुत्र ध्रुव समान ।

माज महिलाम्नों की कथ्र यहा नही होती है। मंत्री महोदय इसको समझते नही है। उनको बहुत सोच समझ कर बिल को लाना बाहये था। बहरहाल जो हो गया वह हो गया, ग्रमी भी समय है, बहुत सोच समझ कर यहां पर सशोधन रक्खें। जच्चगी हो जाने के बाद कम से कम दो महीने का समय रक्खा गया है वैसे तो होना तो कम में कम चार महीने चाहिये, लकिन उसको न रख पाये तो कम से कम दो महीने का समय तो होना ही चाहिये।

दो महीने तक उनसे कोई काम न लिया खाय । उन को बराबर पे मिलनो चाहिये । धीर यह जो 160 दिन रक्खा है उस मे ऐसा होता है कि अगर किसी महिला के बीच मे **बच्या हो ग**ना तो वह हात्रिरो नही दे सकती, इसलिए उसको जो फ यदा मिलना चाहिए बह नही मिलना है । হ নিশ ! मजा महोदय इम्को सोत्र सनझ कर ठोक करे । ग्रीर उपाध्यक्ष महांदय, ग्राप इस कानून को पास होने दोजिए । ज्यादा विरोध होने से काम मही नही होता है। मैं प्रार्थना करती हु कि इस बिल के घ्रन्दर जो महिलाझो के लिये नियम है वह नियम महिलाए जहा जहा भी काम करती हैं, चाहे वह किसी भी क्षेत्र मे हों उनके लिए बराबर संरक्षण दिया जाये झौर इन नियमो को उनके लिये लागु किया जाय । मभी लोग इस बिल पर बोल चुके हैं। इसलिए मब मौर ज्यादा मुझे इस पर बोलना नही हैं। मै केवल यही निवेदन करना चाहती हू कि मत्री महोदय ठीक तरह से विचार करके महिलाओं के लिए जितनी भी सहलियते

हो सकती हैं वह देने के लिए प्रावश्यक समोधन बिल में करे प्रन्यया प्रविष्य में ग्राप लोगों को ही बतरा है। महिलाए मत्याग्रह फरेंगी और भापके लिए ही मुम्किल हो जयगी।

SHRI VASAT SATHE (Akola): Whether it is the circus industry or any other industry, can you also think of correlating this benefit in terms of the number of children? For the first child, apart from the maternity benefit, something can be given for the maintenance of the child also. No maternity benefit should be given after two or three children. That will help in the family planning also. It will be laudable to amend the main Act to this effect.

श्री बाल मोबिन्द वर्मा . मैंने इस डिवेट को बड़े ध्यान से सूना है झौर जि 1ने साथि गे ने यहा पर इसमें भाग लिया है मैं उनके प्रति बडा ग्रामार प्रदर्शित करता हुं। उनका ग्रामारी में इसलिए भी हं कि उन्होंने इसका पूर्यनया समयंन किया है। लेकिन एक चीज मुझे नही मालम कैमे मभी मदस्यों ने बार बार उठाई है कि सभी ग्रीरतो को जो काम करने वासी मौरत हैं. उनको इसमें कबर नहीं किया बया है। मुझे ऐसा मालूम पहता है कि माननीथ सदस्त्रों ने ऐक्ट की ठीक से पढा नही है । भगर वह सेक्शन 1, 3 (बी) ग्रौर सेम्मन 2 का प्राविजो देखे तो उनको पता चलेगा कि समा स्तियों का इसमे त्वर किया गया है। कुत्र एंसी हैं जिनमें केन्द्रीय सरकार जिम्मेदार हे, भौर कुछ ऐसी हैं जिनमे राज्य सरकार जिम्मेदार हैं। जहातक खान का सम्बन्ध है वहां पर तो केम्द्रीय सरकार ने अपने ऊपर जिम्मेदारी में। है भौर बाकी सभी कोतों में राज्य सरकार की जिम्मेदारी हैं क्योंकि वह हर बक्त देखा करती है कि कहां पर इसको किस तरह से काम मे लाना है।

जो बहन पहले बोली थीं मिसेज गोस्वामी उन्होंने इस चीज का जिक्र किया कि कृषि में जो घीरतें काम करती है या हैडलूम में कैम्यू नट इंडस्ट्री में काम करती हैं उन सब पर ध्यान

## Benefit (Amdt) 268 Bill

[श्री बास ग्रोबिन्द वर्मा]

न दिया गया है। इसीलिए मुझे भौर परेशानी है। इसी प्रकार से भौर भी भाइयो ने इस प्रकार की बात उठाई है। मैं स्पष्ट बना दे रहा हूं कि राज्य सरकार जिस क्षेत्र मे भी, जिस इंडस्ट्री मे भी इस ऐक्ट को लागू करना चाहे, केन्द्रीय सरकार की इंडाजात लेकर लागू कर सकती हैं। कोई उसके लिए बन्धन नही है।

जहा तक कछवाय जी ने भीर पाडेय जी ने प्रमन उठाया है कि कास्ट्रक्शन वर्क ने इसको सागु किया जाय, किसो ने कहा कि होटल इडस्टी मे इसको लागू किया जाय, मेरी समझ मे नही माता कही तो भाप चाहते हैं कि केन्द्रीय सरकार इसको ग्रपने हाथ में ले ले ग्रीर कही चाहते हैं कि राज्य सरकारो की ताकत बढाई जाय। केन्द्रीय सरकार भ्रगर हर जगह राज्य सरकार की शक्ति को अपने हाथ मे ले ले तो यह ठीक नही है। केन्दीय सरकार उनकी शक्ति कम करे मौर मपनी बढाए, यह हम नही करना चाहते । हम चाहने है कि राज्य सरवारे भी पूर्णतया शक्तिशाली हो झौर स्त्रिया जहा भी जिस उद्योग से भी काम कर रही है वहा पर उनकी हिफाजत कर सके। हमारा यह मशा नही है कि हम हर चोज मपने हाथ में ले ले । इस लिय इनका यह कहना थि हम हर एक बात भ्रपने हाथ में ले ले यह उचित नहीं होगा । जिन माननीय सदस्यो ने यह सुझाब दिया है मै नही जानता ह कि किन परिस्थितियों मे क्या सोच कर उन्होने यह सुझाव दिया है। अगर बह इस पर विचार करेंगे तो इस निष्कर्ष पर पहचेंगे कि राज्य सरकारों के हाथ मे देना र्जीचत ही है।

कास्ट्रकान वर्स्स के बारे में जो कहा गया, उसमे कठिनाई यह है कि वह थोडे समय के लिए होता है। फिर खत्म हो जाता है। भौर दूसरी जगह वह कम्पनी चली जाती है। लेकिन वह राज्य संरकारों के भन्दर ही काम होता रहता है। तो यह कठिनाई भी राज्य सरकारे देख सकती हैं भौर उसके लिए उचित कदम उठा सकती हैं। भा वसमा साठें यहा तो आपकी वात जरा गलत है इसलिए कि एक राज्य से दूखरे राज्य मे काट्रेक्टर लोग लेवर को ले जाते हैं, यह आप को मलूम होगा मौर काफी दूर दूर ले जाते हैं जिससे कि वे लोग उनके हाथ के नीचे बिलकुल गुलाम रहे, तो यह स्टेट गवर्नमेटस के मन्दर कैसे हो सकता है ?

भी काश कोकिय वर्मा धमी तक हमारी नौलेज में ऐसी बात नहीं है कि किसी प्रथा-का कोई धन्याय इसमें स्त्रिया के साथ हो रहा है।

जहा तक सर्कम की पात है मैं आपको बता दू दो लेबर झार्गनाइजेशस वहा पर हैं। उन्होने हमे लिखा। एक तो म्रखिल भारतीय कर्मचारी सब है, इन्होने हमे लिखा कि यहा यह नही हो रहा है मौर हमने भी महसूस किया, राज्य सरकारो को कमत्ट किया। उनसे प्रछा कि क्या वाकई में उनको कठि-नाइया हैं ? वे इसमे एफंक्टिव ऐक्शन क्या नही ले सकती है ? तो उन्हाने बताया कि उनके लिए परेशानी हो रही है क्योंकि बे एक राज्य से दूसरे राज्य मे चल जाते है काम करने के लिए और हम एनफार्स नही कर सकते है ठीक प्रकार से। इसलिए हम ने ग्रीर राज्यो से पूछा, ग्रीर यह राय हई कि केन्द्रीय सरकार इस शवित को अपने हाथ में से ले और इसी मभिप्राय से हम इस ममेडमेट को साए हैं। सलिए मैं यह कहना चाहता ह कि हस बिल का स्कोप बहत सीमित है । वेवल हम इस जगह पर जहा स्टेट गवर्नमेत का दायित्व है बह दायित्व अपन ऊपर लेना चाहते है ताकि स्तियों को किसी प्रकार को तवलीफ न होने ו שוף

श्वी वास्त्रोवर पाउँच प्रभी मती महोदय ने वहा कि मभी वर्कसं पर यह लागृ है। मैं यह कहना चाहता हू वि खास कर कोयला खदानों मे झाप ग्रपने ग्राखकारियों ने यह भा पता लगा लीजिए कि ठेकेदारी मे वितनी महिला क्मेंबारी काम करती हैं ग्रीर उनका ग्रब तक 20 साल मे कितना मैटरनिटो बेनिफिट कितनी मौरतों को मिला है ? जरा उनसे यह जानकारी में तीजिए ।

धी बाल गोंबिस्द वर्षा ठेकेदारो की बात यहां पर ग्राई । ग्राप सेक्शन 3(ग्रो) को देखें जहा पर बीमेन वर्कर की डफिनीशन दी हुई है । उसके ग्रनमार वह सीधे लगाई जाय काम पर या किसी काट्रेक्टर के ढारा लगाई जायें सब पर यह ऐक्ट लागू होता है ।

भी बामोवर पांडेंग में चाहता हू कि मापके भ्रधिकारी इस पर म्यान दे। खदान भापके भ्रन्दर हैं। भगर वहा पर यह नही सागू होता है तो माप भपने प्रधिकारियो सं कह कर बहा इसे लागू करवाइये।

श्री वाल गोविन्द वर्मा मैं पाढेय जी सं कडूगा कि अगर उनको कही ऐसी चीज नजर धाई हो तो वह हम लिखे । हम बिलकुल पूर्ण हैं ऐसी बात तो नही हैं और न हम यह कहते है । इसलिए अहा पर भी कोई कमी उन्हें नजर धाई हो वह हम लि ने ताकि हम उसकी जान-कारी कर सके छीर उसकी एववायरी करा सकें ।

इसमें और भी बहुत सी वाते उठाई गई है। भिसेज गोस्वामी ने एक बात और वही है कि इसे हर जगह लागू किया जाय। इस ऐक्ट को हर जगह पर एक.टेड किया जाय। मैने पहले ही बताया है कि स्टेट गवर्नमेंट्स क्वाली-फाइड है इसके लिए. उनका पूरा आधिकार है जिस उद्योग में चाहे इनका वह एक्सटेड कर सकती है।

श्री राम सिंह भाई ने कुछ प्रक्र उठाये----उन्होंने दो बाते कही है----एक तो यह कि भौरते 160 दिन काम नही कर पाती हैं, जिसकी वजह से वे इसके लिये योग्य नही बन पाती है। इसमे कहा गया है----

"The qualifying condition for grant of maternity benefit is that the weman concerned should have actually worked for not less than 160 days in the twelve months...."

यह बिलकुल सही है। इसमे यह भी कहा गया र---

"... immediately preceding the date of expected delivery. Such a condition is necessary as otherwise a woman would be able to claim maternity benefit from an employer even after service for a short period of a few days. It would not be fair to impose the liability on an employer in such cases. This will further discourage the employment of women"

हम नही चाहते कि स्वियों को काम न मिले । भगर हम यह कह दे कि जिस ने दो-चार दिन काम किया हो, उसको भी यह बैनि-फिट मिल जाय तो एम्प्लायर ऐमा करेगे कि उनको काम मे नही लेगे । हम ऐसा नही चाहते कि उनको काम न मिले । भ्राज स्त्रिया हर क्षेत्र मे श्रागे ग्रा रही है, इसलिये उनके बास्ते ऐसा भवसर जरूर हो कि वे काम कर सकों भौर उसके बाद क्लेम करे ।

एक प्रश्न श्रीमती भागंव ने उठाया----प्लाटंशन्ज में मैडिकल फोमलिटांज झवेलेबिल नही हैं। यह तो प्लांटेशन भोनर्स पर बाइंडिंग है, उनको यह सुविधा प्रदान करनी चाहि ये। झगर नही करते है तो स्टंट गवर्नमेट को देखना चाहिय। यह जिम्मेदार्श स्टट गवर्नमेट की है और हमारा यह मन है

श्री हुकम चन्द कछवाय राज्य सरकारे उग का पालन नहीं करती है, उनस बधी हुई है, उनके हिता से जुडी हुई

भी बास गोविन्द वर्मा ग्रार राज्य सरकारों में कहते नहीं है। ग्रथर ग्राप उनको लिख नहीं सकते है, ऐसा करने में भ्रापने को ग्रयोग्य सम्झवे है तो हमको जिखिये, हम राज्य सरकारों को लिखेंगे।

श्री हुकम चन्द कछवार्थ मेंने कहा है कि वे उमका पालन नही करती हैं, उनके साथ [श हुन्म्मचत्व कछवाब] बधी हुई है, उनके हितों के साथ जुडी हुई है, इनलिये कार्यवाही बही कर सकती हैं।

भी बाल गोविन्व वर्मा ग्राप राज्य सरकारा को लिख कर उसकी एक काी हम को मेज दे, हम देखेने कि किस तरह से नही होता है।

श्री कछबाय जी ने कहा है कि यह कारून ऐसे बक्त मे बनाया गया है जब कि उनको मैमा नहीं मिलता है। जब स्वी इम प्ररार छुटरी पर जाती है तो इमम तीन महीने पहले की एबरेज ली जाती है, जिसके अनुमार पे मैन्ट किया जाता है---- इमलिये इसमे यह प्रश्न ही नहीं उठता कि यह कानून कब बना । अगर उसकी तनख्वाह कम है तो कम पैसा मिलेगा, प्रगर ज्यादा है तो ज्यादा पैसा मिलेगा, लेकिन छुट्टी पर जान से पहले 3 महीने का एवरेज लिया जाता है और उसी के अनुसार पमैन्ट किया जाता है 1

भी बसम्स साठे छुट्टी पर जाने के पहले नीन महीने लिये जायेगे तो उसको एवरेज बहुत कम होगा। इसलिये मै चाहता हू कि छुट्टी पर जाने के पहले तीन महीने के पहले तीन महीने लिये जाव।

श्री वाल नोविण्य वर्मा छुट्टी पर जाने के पहले तीन महीने ही लिये जायेंगे ग्रीर 6 हफ्ते पहले ग्रीर 6 हफ्ते वाद के पीरियड में यह सुविधा मिलेगी।

बी राम सिंह वर्माः मैने निवेदन किया था कि 6 महीने का गर्म हो जाने के बाद बाइया काम नहीं कर पाती है, प्रक्सर गैर-इजिर होती है, इसीलिये मैने सुझाव दिया था कि गर्म रहने के पहले तीन महीने लियें जाय।

**को बाल नोविन्द वर्गा** एक माननीय सदस्य न कहा कि हम को स्तियो को सम्मानित दृष्टि से देखना चाहिये---हम उनका झादर करते हैं झौर जो भी उनके लिये कर सकते है भवश्य करेंगे। इसमे दो राये नहीं हैं। स्त्रिया मसे झलग नहीं है---हम उनने हैं झौर वे मसे है, उनसे झलग नहीं हो सकते हैं।

एक प्रभ्न यह उठाया गया कि जो 160 दिन का समय रखा गया है, तो बहुत सी फैक्ट्रीज सोजनल चलती है।

भी रामसिंह भाई वर्शा जैसे झुगर फैक्टरी, जिनिंग मिल, जो वेवल 6--/ महीने चलती हैं उन मे तो 3 मडीने हो ही नही पाते।

श्री बाल गोविन्द वर्मा वहा भी बकिंग डेज निण्चित हैं जिनवे स्रन्सार उन को सुविधार्ये मिलेगी।

भी राम सिंह भाई वर्मा प्राप बताइये उनको क्या सुविधाए मिलेगी ?

भी बाल गोविन्द वर्मा मैं ग्राप को बता ब्या।

भी हुकम चम्द कछत्राय कुछ नडी मिलता है।

भी रामसिंह भाई वर्मा प्रमी बतलाइये । कुछ नहीं मिलता है, 160 का बन्धन उन पर भी है ।

भी बतन्त साठें हमे इस बात से तसस्मी नहीं हुई कि उन का तीन महीने का एवीच क्यो निकालना चाहते हैं; उन को भी रेम्पूलर एक दिन की तनक्वाह के हिसाब से क्यो नही देते हैं? इस का खुलासा कीजिये ।

भी बाल योकिन्द वर्षा वे डेली वेज-भ्रनेर नहीं हैं, महाबीर तनस्वाह पाती है, इस लिये उन का हिसाब जगाना पडता है। एक माननीय सदस्य ने कहा कि इस बिर्ल को लान में बहुत देर हो गई । इस प्रकार ऐक्ट लागू करने की खिम्मेदारी स्टेट गवर्नमेंट की थी । हम समझते ये कि सर्कस में काम करनेवाली भहिलाभो को भी थे सुविधाय मिलती होगी । लेकिन सर्कस की लेवर ध्रार्गनाइजेशन्स ने हमारा ध्यान इम तरफ दिलाया तब हमें पता चला कि ये सुविधाए उन को नहीं मिलती हैं, उम के बाद हम फौरन ही यह बिल यहा ले ध्राये ।

सहोदरा वाई जी ने कहा कि मेरी जादी नही हुई है इस लिये मैं उन समस्याक्रो मे परिचित नही हूं। मेरी शाबी तो बहुत पहले हो चुकी है, बच्चे भी है, इस लिये स्लियो मे पूरी श्रद्धा रखता हू और हर प्रकार से प्रयत्न कर रहा ह।

उपाध्यक्ष महोदय, मैंने सभी प्रथ्नो को कवर कर लिया है जो माननीय सदस्यो ने उठाये थे। मैं एक बार पुन सब को धन्यवाद देना चाहता हू जिन्होने इस मे भाग लिया है।

वी रामसिंह माई वर्मा बच्चा जन्मने के बाद 6 सप्ताह नही बल्कि 3 महीने का वेतन दिया जाय---इसके बारे ने इन्छ कहा जाय।

MR. DEPUTY SPEAKER: Now, the question is:

"That the Bill further to amend the Maternity Benefit Act, 1961, as pessed by Rajya Sabha, be taken into consideration."

The motion was adopted

MR. DEPUTY SPEAKER: Now, we take up clause-by clause discussion.

Clause 2-(Amendment Section 1)

DR. LAXMINARAIN PANDEYA (Mandsaur): Sir, I move:

Page 1, line 10,---

after "establishment" insert-

"including hotel industry, building and road construction works, construction work done through contractors and such establishments" (5)

उपाध्यक्ष जी, चर्चा के समय सदन के ग्रनेको माननीय सदस्यों ने एक बात बड जोरदार मन्दों में रक्षी है। माननीय मंत्री जी ने भी अपनी असमर्थता बताते हए यह कहा है कि राज्य सरकारे भ्रपना वायित्व तिभाने में ग्रसमर्थ रही हैं: राज्य सरकारो ने सर्कस को उन उद्योगो मे सग्मिलित नही किया, जिनके ऊपर भी यह अधिनियम लागु होता है और इसी लिवे मती महोदय को इस संशोधन को यहा लाने के लिये विवश होना पडा । मै इसी सन्दर्भ में मली महोदय का ध्यान माकर्षित करना चाहता ह - वह कह सकते हैं कि राज्य सरकारें इस के लिये सक्षम हैं, वे ऐसा करें, हम ने उन्हे रोका नही है, लेकिन जब स्वयं मंत्री महोदय इस बात को स्वीकार कर चुके हैं कि राज्य सरकारें नहीं करती हैं. तब मेरे संज्ञोधन का महत्व बहुत बढ़ जाता है। मले ही राम सिंह माई जी ने झपना संज्ञोधन वापस से लिया, लेकिन जैसा यहां पर कई सवस्वो ने कहा है कि कांद्रेक्टर्स जो इन को सड़क निर्माण या दूसरे कामों के लिये नियक्त करते हैं, वे उन को काम करवाने के लिये दूसरी जगह ले जाते हैं ; तो महीने, चार महीने, 6 महीने उन से काम करवाते हैं, उन पर भी इस कानून का साग होना भावस्थक है। भीर वे एक प्रकार से स्वायी मजदूर ही है। इस लिये यह सजीधन सरकार इस में जामिल कर लें तो यह उन के लिये बहुत लाभप्रद होगा। में मंदी महोदय से अपेता करता ह कि बे इस संझोधन को भवश्य स्वीकार करेंगे।

SHRI BALGOVIND VERMA: Through this amendment. the hon. Member seeks to empower the Central Government to make this law applicable to such industries mentioned in his amendment. He already knows that the State Governments are fully gualified to make this Act applicable to those industries, vide Sec 1(3)(b) and, therefore, it is not necessary to empower the Central Government to apply this Act to such establishments. I hope the hon. Member will withdraw his amendment.

डा • सक्ष्मीनारायण पाइं - माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैते कहा है कि राज्य सरकारें ग्रविकृत थी, लेकिन उन्होने किया नही, इसी लिये मती महोदय इस सशोधन को यहा लाये है। चूकि राज्य सरकारे नही कर रही है, इसी लिये मैं भी इस संशोधन को यहा नाया हु।

MR. DEPUTY-SPEAKER What about construction workers under the Central Government? He said that the State Governments are free to bring forward a proposal.

SHRI BALGOVIND VERMA. The Central Government is fully conscious of its duty.

MR. DEPUTY-SPEAKER. The women workers in the construction works in the Central Government—are they covered?

SHRI BALGOVIND VERMA. They can be covered by this

MR. DEPUTY-SPEAKER. The Government itself has widened its scope by bringing this amendment. .... (Interruptions). The Bill itself has been widened in scope. I will put the amendment of Dr. Laxminarain Pandeya to the vote of the House. Before I

#### Benefit (Amdt.) 276 Bill

do so, I would like to say, I have my own doubts about the amendment of Dr. Laxminarain Pandeys. (Interruptions). You will vote according to what you understand. I have this responsibility that anything we do, we do with a certain sense of responsibility. Dr. Laxminarain Pandeya wants that women working under the contractors doing construction work, etc. should also be brought within the purview of this Bill or this Act; they should get the maternity benefit. To that, the Minister says that it is up to the state Governments to make any proposal. If they want to make a proposal, the Central Government would have no objection.

I had put the question to him a little while ago whether this Bill or this Act will also cover the women workers working under a contractor doing construction under the Central Government and his answer to that is 'yes'.

That is the position. Now that has to be voted on. I shall now put this amendment to the vote of the House.

MR DEPUTY-SPEAKER: The question is.

'Page 1, line 10,---

after "establishment" insert-

"including hotel industry, building and riad construction works, construction work done through contractors and such establishments" (5)

The Lok Sabha divided

Division No 7]

[15.37 hrs.

#### AYES

Dandavate, Prof. Madhu

Deb, Shri Dasaratha

Dutta, Shri Biren

## 277 Maternity AGRAHAYANA 12, 1895 (SAKA) Benefit (Amdt.) 278

Goswanal. Shrimati Bibha Ghom Gowder. Shri J. Matha Halder, Shri Krishna Chandra Joarder, Shri Dinesh Kachwai, Shri Dinesh Kachwai, Shri Hukam Chand Koya, Shri C. H. Mohamed Lalji Bhai, Shri Limaye, Shri Madhu Mahajan, Shri Vikram Pandeya, Dr. Laxminarain Sezhiyan, Shri Shakya, Shri Maha Deepak Singh Shastri, Shri Ramavatar.

#### SHON

Ambesh, Shri Barman, Shri R. N. Bist. Shri Narendra Singh Chaturvedi, Shri Rohan Lai Chaudhary Shri Nitiraj Singh Chhotey Lai, Shri Chikkalingaiah, Shri K. Dixit. Shri G. C. Dumada, Shri L. K. Engti, Shri Biren Gill, Shri Mohinder Singh Gogoi, Shri Tarun Hari Singh, Shri Ishaque, Shri A. K. M. Kadannappalli, Shri Ramachandran Laskar, Shri Nihar Mahajan, Shri Y. S. Majhi, Shri Gajadhar Mirdha, Shri Nathu Ram Mohammad Tahir, Shri Murmu, Shri Yogesh Chandra Nahata, Shri Amrit Naik, Shri B. V. Negi, Shri Pratap Singh Nimbalkar, Shri Oraon, Shri Kartik Oraon, Shri Tuna Painuli, Shri Paripoornanand Pandey, Shri Damodar

Bill Pandey, Shri Krishna Chandra Pandey, Shri Tarkeshwar Partap Singh, Shri Paswan, Shri Ram Bhagat Patil, Shri C. A. Patil, Shri Krishnarao Purty, Shri M. S. Raghu Ramaiah, Shri K. Rajdeo Singh, Shri Reddi, Shri P. Antony Sadhu Ram, Shri Samanta, Shri S. C. Sathe, Shri Vasant Sethi, Shri Arjun Shankaranand, Shri B. Sharma, Shri A. P. Shastri, Shri Biswanarayan Shenoy, Shri P. R. Shukla, Shri B. R. Sokhi, Shri Swaran Singh Stephen, Shri C. M. Subramaniam. Shri C. Thakur, Shri Krishnarao Tiwary, Shri D. N. Tiwary, Shri K. N. Tombi Singh, Shri N. Tula Ram. Shri Verma, Shri Balgovind Verma, Shri Ramsingh Bhai Verma, Shri Sukhdeo Prasad

MR. DEPUTY-SPEAKER: The result of the division is: Ayes 16;

#### Noes 59.

The motion was negatived.

MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

"That clause 2 stand part of the Bill'.

The motion was adopted.

Clause 2 was added to the Bill.

Clause 8-(Amendment of section 2.)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Mr. Verma are you moving your amendments to this clause?

SHRI RAM SINGH BHAI VERMA No, Sir

MR. DEPUTY-SPEAKER: Dr. Pandeya, are you moving your amendments to this clause?

DR. LAXMINARAIN PANDEYA: 1 move:

Page 1, line 16-

after "establishment" insert-

"including hotel industry, build ing and road construction works, construction work done through contractors and "uch establishments" (6)

Page 1, line 17,-

add at the end-

- 'and, (ii) in the proviso after the words "shall apply also to", the words "hotel industry and to" shall be inserted.' (7)
- Amendments Nos 6 and 7 were put and negatived

MR. DEPUTY-SPEAKER The question is:

"That Clause 3 stand part of the Bill'.

The motion was adopted

Clause 3 was added to the Bill

Clause 4-(Amendment of section 3)

MR. DEPUTY-SPEAKER There are amendments to this clause Mr Verma, are you moving?

SHRI RAM SINGH BHAI VERMA. I am not moving.

MR. DEPUTY-SPEAKER. Are Dr. Pandeya and Mr. Shastri moving their amendments? DR. LAXMINABAIN PANDEYA: 1 move:

Page 2, line 3,---

'after "establishment" insert-

"including hotel industry, building and road construction works, construction work done through contractors and such establishments" (8)

'Page 2, line 11,---

"after "establishment" insert---

"including hotel industry, building and road construction works, construction work done through contractors and such establishments" (9)

SHRI RAMAVATAR SHASTRI (Patna) I move ·

Page 2, line 8,-

after "factory" insert-

"including workshop" (13)

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा मशोधन बहुत ही निर्दोष है जिसे स्वावार करने मे मली जी को ९ ई एतरार कही होना चाहिये मैंने सिर्फ इतना ही कहा है अपने सथोधन के द्वारा कि उहा फैक्ट्री की बात कही गई है उस मे वर्कशाप को भी जाट दिया जाय करोकि हमारे देश के अन्दर भारत सरकार और राज्य मरकारों के अन्दर बहुत सी वर्फशाप्स हैं। अगर उन की नही जोडेंगे तो मान लीजिये वहा नोई महिला काम करती है तो उस का यह सुविधा नही मिल सकेगी। इतने निर्दोष सगोधन को ग्राप स्वीकार कही करेगे तो और क्या करेंगे। इस लिये फैक्ट्री इनक्लूडिंग बर्कशाप इतना जोड दिया जाय।

भी बालगोबिन्द वर्मा उपाध्यक्ष महोदय शास्त्री जी हैं कि पृष्ठ संख्या 2 लाइन 8 में दर्कशाप को भी फैक्ट्री के ग्रन्सर्गत जोड दिया आय ।

1

## 231 Maternity AGRAHAYANA 12, 1895 (SAKA) Benefit (Amdt.)

## Bill 282

The term "factory" as defined in Section 2(f) of the Maternity Benefit Act, 1961 means "factory" as defined in clause (m) of Section 2 of the Factories Act, 1948.

Therefore, it is not necessary to make this proposed amendment. I am sure, the hon. Member will withdraw these amendments.

MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is that these amendments be accepted by the House.

Amendments Nos. 8, 9 and 13 were put and negatived.

MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

"That clause 4 stand part of the Bill".

The motion was adopted.

Clause 4 was added to the Bill.

Clause 5-(Amendment of section 28.)

SHRI HUKAM CHAND KACHWAI: I beg to move:

Page 2, for clause 5, substitute-

65. In section 28 of the principal Act, in sub-section (3), for the words "thirty days which may be comprised in one session or in two successive sessions, and if before the expiry of the session in which it is so laid or the session immediately following,", the words "three days which may be comprised in one session or in two successive sessions, and if, before the expiry of the session immediately following the session or the successive, sessions aforesaid," shall be substituted.'. (10)

DR. LAXMINARAIN PANDEYA: I beg to move:

Page 2, for clause 5, substitute .....

"5. In section 28 of the principal Act, in sub-section (3), for the words "thirty days which may be comprised in one session or in two successive sessions, and if before the expiry of the session in which it is so laid or the session immediately following,", the words "one week which may be comprised in one session or in two successive sessions, and if, before the expiry of the session immediately following the session or the successive sessions aforesaid." shall be substituted.". (11)

भी हुकम देवन्द कछवाय प्रपने एमंडमेंट के बारे में मेरा इतना ही कहना है कि इर में जो मती महोदय ने 30 दिन रखा है इस को एक रूप्ताह रखा आए । यह एक बहुत छांटा सा भीर आयज मशोधन है भीर मै समझता हूँ कि मती जी को इस को मामले में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी । यह सेणन तो 21 दिसम्बर को स्ताप्त हो आएगा । इस सिये मेरा कहना यह है कि इस मियाद को केवल एक स्रेताह रखा जाए । यह एक छोटा सा सशोधन है भीर में प्रामा करता ह कि मंती जी मेरा संशोधन मान लेगे ।

MR. DEPUTY-SPEAKER: Now, the hon Minister.

SHRI BALGOVIND VERMA: I think Dr. Laxmi Narayan Pandeya had also moved a similor amendment. He may also be allowed to speak.

MR. DEPUTY-SPEAKER: If he does not want to speak, why should I allow him? Now, the hon. Minister is instigating him.

DR. LAXMINARAIN PANDEYA: I may also be allowed to speak....

SHRI BALGOVIND VERMA: The suggestion of the hon. Members is.....

MR. DEPUTY-SPEAKER: The hon. Minister wanted the hon. Member to speak. Now, he is going to speak. So. let the hon. Minister wait.

सा । सामीमारायम पांडेव . उपाध्यक्ष महोदय, मभी यह जी संजीवन रखा गया है यह बहुत ल्पप्ट है कि धहा पर केन्द्रीय सरकार ने कोई नियम बना लिये हैं भीर जब सब निधम बन चुके हैं झौर सर्कुलेट हो चुके है भीर सब कुछ हो चुका है, ती किर यह जो एक महीने समय से रहे हैं, वह नही लिया जाना चाहिये मेरा सझाव यह है कि यदि इस को सप्ताह बर बर दिया जाए, तो कोई झापत्ति नही होनी चाहिये। माज कल संसद बैठी हुई है मौर में यह चाहना हं कि यदि सरकार इस सगोधन को मान लेते। है मोर एक महीने के बजाय इस मियाद को सप्ताह भर कर देती है, तो इससे सदन की गरिमा भी बढेगी ग्रीर यह भी होगा कि मनी महोदय ने मच्छा काम किया है कि इतनी अल्दी इस को कर दिया है ।

SHRI BALGOVIND VERMA: Shri Hukam Chand Kachwai and Dr. Laxmi Narayan Pandeya have sent two amendments, that is, that the existing provision for laying of rules made by the Central Government under the Act before Parliament may be amended so as to provide for laying of rules before each House of Parliament for a total period of three days, as in Shri Kachwai's amendment, and for a period of one week, as in Dr. Laxmi Narayan Pandeya's amendment, which may be comprised in one session or in two successive sessions. The Act at present provides for the laying of rules for a total period of thirty days which may be comprised in one session or in two successive sessions. The Bill seeks to amend the existing provisions for laying of rules so as to provide that the period of thirty days shall comprise in two or more successive sess-The proposed provision is sions. based on the model clause for laying of rules, as recommended by the Committee in Subordinate Legislation of both Houses of Parliament, and no change in this appears to be called for.

Therefore, I hope that both the hon. Members will withdraw their amendments.

MR. DEPUTY-SPEAKER: I shall now put amendments Nos. 10 and 11 to the vote of the House.

Amendments Nos. 10 and 11 were put and negatived.

MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

"That clause 5 stand part of the Bill".

The motion was adopted.

Clause 5 was aded to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

SHRI BALGOVIND VERMA: I beg to move:

"That the Bill be passed".

MR. DEPUT-SPEAKER: Motion moved:

"That the Bill be passed".

भी रामावतार (झास्त्री) (पटना) झघ्यक्ष जीं, इस बिल का समर्थन करते हुए मैं दो बाते कहना चाहता हू। पहली बात तो यह है कि थहा जो यह कानून हम पास कर रहे हैं, यह कार्यान्वित हो, इस बात को देखने का कत्तंव्य सरकार पर रह जाता है। बहुत सारे कानून बनते हैं लेकिन वे या तो समय पर कार्यान्वित नहीं होते या वे पूरे नही होते। तो मैं यह निवेदन करूंगा सरकार से झौर मत्री महोदय से कि जो भी कानून बनाए आएं, उन को यथा शीध्र तत्काल कार्यान्वित करने की व्यवल्या की जाए।

दूसरी बात जो मैं निवेदन करना चाहता हूं धीर जिसके बारे में किसी भी माननीय सदस्य ने चर्चों नहीं की है धीर हो सकता है कि मंत्री महोदम फिर यह बात कहें कि यह तो राज्य सरकारों

# 285 Maternity Benefit AGRAHAYANA 13, 1995 (SAKA) Industries (Deve-285 (Amdt.) Bill lopment and Regulation) Amdt. Bill

का मसला है, मैं फिर जल सवाल को उठा रहा ह, वह यह है कि हमारे देश में ईट बनाने के भटटे तमाम राज्यों में बिखरे हए हैं भीर उन भट्टों पर मौरते बड़ी सख्या मे काम करती है। मै अपने यहा के अन्भव से यह बात्त कह रहा ह क्योकि हमारे पटना मे बहुत सारे सेटरों पर हजारों ईंटों के भट्टे है और हजारों औरते भी उन मे काम करती है। मर्द तो काम करते ही है लेकिन ग्रौरते भी काफी सख्या मे उन मे काम कर्ती है। उन के लिये कोई भी कानून नही बना हुआ है मौर जो भटटों के मालिक चाहते हैं वहीं होता है। जो तन्ख्वाह वे उन को देते हैं वही वे ले लेते है। मर्द ग्रीर ग्रीरती के लिये वहा पर किसी भी प्रकार की स्विधा नहीं है (ध्यववान)।

मैं इस का जिक इसलिये कर रहा हूं क्योंकि प्रसूति की सुविधा वहा पर मौग्तों के लिये बिल्कुल नही है मौर मन्य कोई सुविधा मी नही है। इसलिये मैं चाहता हूं कि मगर यहा पर भारत सरकार इस सम्बन्ध मे कोई कानून बनाने मे समर्थ न हो, तो कम से कम इस बारे मे माप राज्य सरकारों को लिख सकते हैं मौर उन से कह सकते हैं कि भट्टों मे काम करने बाली महिलाओं पर भी इस कानून को लागू करने की व्यवस्था करे। मेरा निवेदन है कि सरकार राज्य सरकारों का ध्यान इस झोर झाइष्ट करे मगर ये स्वय इस बारे मे कुछ करने में मसमर्थ हों।

भी बाल गोविन्द वर्मा : श्रीमान् जी, माननीय सदस्थ ने ईटों के भट्टो मे काम करने वाली स्त्रियों के बारे में कहा है। मै फिर उन्हे याद दिलाता हूं कि यह राज्य सरकारो के ग्रन्तर्गत ग्राता है। ग्रगर वे पाहें वहां पर कानून को लागू करा सकते हैं। 2492 IS-10 भी द्रामाचतार शक्त्वी : विहार मे हम ने बहुत कौशिय का लेकिन वहा पर यह नही हुआ।

श्री बाल गोविन्द वर्मा प्राप राज्य सरकारों को लिखे गौर उस की एक कापी हमे भेज दे। ु.

श्री हुकम चन्द कछवाय राज्य सरकार निकर्म्मा है, वे कग्ती नही है।

भी रामावतार शास्त्री राज्य सरकार नही करती है।

MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

"That the Bill be passed".

The motion was adopted.

15 48 hrs.

INDUSTRIES (DEVELOPMENT AND REGULATION) AMENDMENT BILL

THE MINISTER OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND SCIENCE AND MINES (SHRI C. SUBRA-MANIAM): Sir, I beg to move:

"That the Bill further to amend the Industries (Development and Regulation) Act, 1951, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration".

This is a short Bill which has been introduced with the object of amending section....

भ्वी मधु लिमयें (बांका) . मुझे इ.स विषय मे कुछ कहना है।

MR. DEPUTY-SPEAKER: You can only raise a point of order.

भी मधु लिमये : मैं प्वाइन्ट झाफ झाडेंर नहीं उठा रहा हूं ।